



आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए),
Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA),

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Ayush Govt. of India

आयुर्वेद परिसर, जामनगर-361 008
Ayurveda Campus, Jamnagar - 361 008

वार्षिक दर अनुबंध सूचना: 2026-27
Annual Rate Contract NOTICE : 2026-27

वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआरए के अंतर्गत कार्यरत प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला रसायन/कांच के बर्तन/किट/अभिकर्मकों की आपूर्ति करने के लिए पंजीकृत/अधिकृत विक्रेताओं से वार्षिक दर अनुबंध के लिए सीलबंद लिफाफा आमंत्रित किया जाता है। कंपनी के अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र और सभी करों आदि को छोड़कर दर सूची सीलबंद लिफाफे में "प्रयोगशाला रसायन/कांच के बर्तन/किट/अभिकर्मक 2026-27" लिखकर दिनांक 18/08/2026 तक पहुँच जानी चाहिए। प्रयोगशाला रसायन/कांच के बर्तन/किट/अभिकर्मकों के लिए वार्षिक दर अनुबंध के लिए अनुसूची ए एवं बी और नियम और शर्तें आवश्यक विवरण के साथ itra.ac.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संस्थान स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित रखता है।
संपर्क: 0288 2552014.

Sealed envelope for Annual Rate Contract are invited from registered/ authorized parties to supply laboratory chemicals/glassware/ kits/ reagents for laboratories functional under ITRA, for the year 2026-27. Company authorized dealer certificate and Rate list excluding all taxes etc. in sealed envelope superscribed "Laboratory chemicals/glassware/ kits/ reagents 2026-27" should reach latest by Dt. 18/08/2026. Terms and conditions for Annual Rate Contract and **SCHEDULE A & B** for laboratory chemicals/glassware/ kits/ reagents with required details are available on website itra.ac.in. The institute reserves the right for acceptance/rejection.
Contact: 0288 2552014.

इतरा/मा&पीआर/जाम/जुलाई-03
ITRA/M&PR/JAM/JUL-03

निदेशक
DIRECTOR

निदेशक
आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
जामनगर

नियम और शर्तें**सामान्य:**

1. वार्षिक दर अनुबंध (Annual Rate Contract) एक साल की अवधि के लिए मान्य है, और यदि उचित समझा जाए तो इसे उन्हीं दरों, नियमों और शर्तों के साथ आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. वार्षिक अनुबंध पत्र जारी होने के बाद, पार्टी को ड्राफ्ट के अनुसार ₹300/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. वार्षिक अनुबंध पत्र जारी होने के बाद, पार्टी को निदेशक, आईटीआरए., जामनगर के पक्ष में डी.डी. के माध्यम से ₹2000/- (केवल दो हजार रुपये) (नॉन-रिफंडेबल) पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. केवल अटैचमेंट में उल्लिखित आइटम ही दर अनुबंध के अंतर्गत माने जाएंगे। अनुरोधित आइटम की सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी भी अतिरिक्त आइटम पर दर अनुबंध के तहत विचार नहीं किया जाएगा, भले ही विक्रेता/सेलर ने उन्हें अटैचमेंट के रूप में भेजा हो।
5. सभी दरों और आइटम के नामों का उल्लेख बिना किसी गलती के सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और निर्माताओं के नामों को बिना किसी अस्पष्टता या विसंगति के स्पष्ट रूप से बोल्ड अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बिना निर्दिष्ट अटैचमेंट वाले और नामों या राशियों के बारे में स्पष्ट न होने वाले दर अनुबंध दस्तावेजों को विक्रेता/सेलर की लापरवाही माना जाएगा और उन्हें इस दर अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई शुद्धि-पत्र जरूरी हुआ, तो उसे सिर्फ संस्थान के वेबसाइट (<https://itra.ac.in>) पर ही प्रकाशित/प्रसिद्ध किया जाएगा।

प्राधिकरण और अखंडता समझौता (Integrity Pact):

6. अनुरोधित सभी आइटम के लिए OEM/केमिकल निर्माता से उनके संबंधित लेटर हेड पर निर्दिष्ट संलग्न प्रारूप (सलग्नक-1) में प्राधिकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कोई विक्रेता उचित अनुरोधित प्रारूप में इसे संलग्न करने में विफल रहता है, तो फर्म/एजेंसी को "अयोग्य" (DISQUALIFIED) माना जाएगा।
7. यदि कोई विक्रेता/सेलर दर अनुबंध के तहत आइटम के लिए आंशिक रूप से प्राधिकरण पत्र जमा करता है, तो केवल उन आइटम पर ही दर अनुबंध के लिए विचार किया जाएगा, भले ही वे उसी पत्र में अन्य आइटम के साथ सूचीबद्ध हों।
8. यदि कोई विक्रेता/सेलर नकली या छेड़छाड़ किया हुआ प्राधिकरण पत्र जमा करता है, तो उसे संस्थान की दर अनुबंध प्रक्रिया से 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
9. केवल पंजीकृत/अधिकृत फर्मों पर ही अनुबंध के दायरे में विचार किया जाएगा। बोलीदाता को निर्दिष्ट संलग्न रूप (सलग्नक-2) में गैर-ब्लैकलिस्टिंग/डीबारिंग के संबंध में घोषणा पत्र जमा करना होगा।
10. सभी बोलीदाताओं को बोली के साथ सलग्नक-3 के रूप में तारीख और मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित अखंडता समझौता (Integrity Pact) जमा करना होगा।

ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी:

11. वेंडर/सेलर को खरीद के ऑर्डर (purchase order) की तारीख से 21 दिनों के भीतर सामान पहुंचाना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सेलर/वेंडर को खरीद की अवधि बढ़ाने के लिए 21वें दिन से पहले खरीदार के संबंधित विभाग से अनुरोध करना होगा।
नोट: इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीने (30 दिन) और सिर्फ एक बार (सिर्फ ईमेल के जरिए) अनुरोध किया जा सकता है। अगर दूसरी बार भी वेंडर सही सामान सप्लाई करने में नाकाम रहता है (यानी खरीदार द्वारा खरीद का ऑर्डर जारी होने के 51 दिनों के बाद भी), तो खरीद के ऑर्डर को "रद्द" (CANCELLED) माना जाएगा और खरीदार उन्हीं शर्तों पर किसी दूसरे वेंडर/सेलर के नाम पर वही ऑर्डर बनाने का हकदार होगा।
12. माइनस 20 डिग्री सेल्सियस या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले सामान का ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी सही स्टोरेज तापमान की स्थितियों में ही की जानी चाहिए। अगर कोई शिपमेंट निर्माता द्वारा बताए गए तापमान की सीमा के अनुसार नहीं पाया जाता है या नहीं मिलता है, तो खरीदार उसे अस्वीकार कर सकता है।
13. फ्रेट (माल ढुलाई), ट्रांसपोर्टेशन आदि जैसे कोई भी अन्य शुल्क/खर्च केवल सेलर/वेंडर को ही उठाने होंगे।

बिल / GST / टैक्स:

14. सेलर/वेंडर को GST/टैक्स के बिना दरें बतानी होंगी। सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए सभी GST/टैक्स नियमों के अनुसार मान्य होंगे।
15. खरीदार की ओर से किसी भी तरह से छूट (डिस्काउंट) या किसी एक आइटम की खरीद को प्राथमिकता देने के बारे में किसी भी मौखिक अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. रेट कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों या बिलों में पूफ-रीडिंग की गलतियों या किसी भी तरह की लिखने/टाइपिंग की गलतियों के कारण पेमेंट में देरी होने पर पूरी जिम्मेदारी सेलर/वेंडर की होगी।



निदेशक

(P.T.O)

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

Terms & Conditions**General:**

1. The Annual Rate Contract is valid for the period of **one year**, and may be **extended for further period** if deemed fit, with same rate, terms and conditions.
2. The Party has to sign a Contract on Rs. 300/- Non Judicial Stamp Paper as per the draft after issuing Annual Contract letter.
3. The Party has to pay Rs. 2000/- (Two Thousand Rupees Only) (Non Refundable) Registration fee by D.D. in favour of Director, I.T.R.A., Jamnagar after issuing Annual Contract letter.
4. The mentioned items in the attachment only to be considered under Rate Contract. **No extra Items which were not mentioned in the List of Requested items will not be considered under Rate contract even though Vendor/ Seller sent as attachment.**
5. All the Rates and Items Names are to be mentioned carefully without any errors and specify the name of manufacturers in bold letters clearly without any ambiguity or discrepancy. Rate contract documents without specified attachments and not in clear about the names or amounts will be considered as carelessness from the vendor/ seller and those will be disqualified for this Rate Contract. Any corrigendum, if required will be published on the Institute website (<https://itra.ac.in>) only.

Authorization and Integrity pact:

6. All the Items Requested must have **Authorization Certificate** in the specified attached format (**Annexure-1**) from the OEM/ Chemical Manufacturer on their respective letter head. In case, any vendor failed to attach in the proper requested format the firm/agency will be considered as **"DISQUALIFIED"**.
7. Any seller/vendor submitted the Authorization letter partially for items under Rate contract those items only will be considered for rate contract even though listed in the same letter along with other items.
8. Any seller/ vendor submitted the fake or tampered authorization letter will be considered to be **blacklisted for 3 years** from the Rate Contract procedure of institute.
9. Only registered/authorized firms will be considered under purview of contract. The bidder has to supply **DECLARATION REGARDING NON-BLACKLISTING / DEBARRING** in the specified attached format (**Annexure-2**)
10. All bidders have to submit integrity pact, duly signed with date and stamp, as **Annexure - 3**, along with the bid.

Transportation and Delivery:

11. The Vendors/Sellers have to deliver goods within 21 days from the date of purchase order. Failed in case, seller/vendor must request before the 21st day to concerned department of buyer to extend the procurement period.
Note: It can be requested for maximum up to 1 month (30 days) and for once only (through mail only). In the second attempt also vendor failed to supply the proper items (i.e even after the 51 days of the purchase order released by buyer.) the purchase order will be considered as **"CANCELLED"** and Buyer is eligible to create the same order on the name of other Vendor/Seller with the same conditions.
12. Transportation and delivery of items in minus 20 Centigrade or 2 to 8 Centigrade are to be transported in proper storage temperature conditions only. If any shipment found / not received as per the labelled temperature range specified by manufacturer; will be liable to reject by Buyer.
13. Freight, Transportation etc. any other charges / expenses are to be borne by the Seller / Vendor only.

Bill / GST / Taxes:

14. Sellers / vendors have to quote rates without GST / Taxes. All GST / Taxes imposed by Government time to time are admissible as per rules.
15. No Consideration for any verbal requests regarding the Discounts/Preference of purchase for single items will be entertained in any form from the buyer.
16. Seller/Vendor is sole responsible for the proof reading mistakes or any transcription errors with either in the Rate Contract Prices or bills causing delay in the payment.


 निदेशक
 आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
 जामनगर

संस्थागत आपूर्ति के लिए प्राधिकरण प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF AUTHORIZATION FOR INSTITUTIONAL SUPPLIES

संदर्भ सं./ Ref.No:

दिनांक /Date:

प्रति, / To,

निदेशक / The Director,

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,

Institute of Teaching and Research in Ayurveda,

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of AYUSH, Govt. of India),

बी-डिविजन पुलिस स्टेशन के सामने, गुरुद्वारा रोड,

Opp. City-B-Division Police Station, Gurudwara Road,

जामनगर / Jamnagar-361008, गुजरात / Gujarat.

Sub:- रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिएजेंट/केमिकल/ग्लासवेयर की सप्लाई के लिए ऑथराइजेशन लेटर /
 Authorization letter for supply of reagents/chemicals/glassware for the Rate
 Contract.

Ref:- आईटीआरए का रेट कॉन्ट्रैक्ट विज्ञापन नंबर और दिनांक / Rate contract adv. No. of
 ITRA and Date _____

अतः प्रमाणित किया जाता है कि अद्य लिखित डिस्ट्रीब्यूशन फर्म को अद्य लिखित खास अवधि के लिए आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (आईटीआरए), जामनगर, गुजरात को सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। This is to hereby certify that the below mentioned distribution firm has been authorized towards executing supplies to the Institute of Teaching and research in Ayurveda (I.T.R.A), Jamnagar, Gujarat for the specific tenure mentioned below.

अद्य लिखित डिस्ट्रीब्यूशन फर्म को कोटेशन जमा करने, ऑर्डर लेने, प्रोडक्ट सप्लाई करने, बिल जमा करने और पेमेंट लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। अगर तय समय-सीमा के भीतर आईटीआरए से मांगे गए सामान की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो हम वेंडर के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करेंगे या ओईएम के तौर पर आईटीआरए के संबंधित सेक्शन को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए हम ज़िम्मेदार होंगे। / The Distribution firm, as mentioned below, is hereby authorized to submit quotations, collect orders, supply products, submit bills and collect payment. In case of failure in supply the requested material from the ITRA with in the specified timeline, we will take necessary action on the vendor or we are liable as OEM to supply the products to ITRA concerned section.

अधिकृत वितरक का नाम और पूरा पता:

Authorized Distributor Name and Complete address:

प्रोडक्ट का नाम / Product Name:

प्राधिकरण की अवधि: / Authorization Tenure:

कोई टिप्पणी: / Any remarks:



निदेशक
 आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
 जामनगर

ओईएम/मटीरियल निर्माता के

अधिकृत व्यक्ति की मुहर और हस्ताक्षर

Seal and Signature of the Authorized

Person from OEM/Material Manufacturer

ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित न किए जाने के संबंध में घोषणा**DECLARATION REGARDING NON-BLACKLISTING/DEBARRING**

(एक सौ रुपये की कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी से एग्जीक्यूट और अटेस्टेड किया जाएगा)

(To be executed and attested by a public Notary on non-judicial stamp paper of the value of INR One Hundred)

मैं/हम _____ (आवेदक) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/कंपनी, जिसका नाम _____

है, उसे भारत में सरकारी टेंडर में भाग लेने से केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालयों या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा पहले कभी ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया है और किसी भी अदालत में हमारे खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं चल रहा है।

I/We _____ (Applicant) hereby declare that our firm/company namely M/s _____ has not been blacklisted or debarred in the past by the Central Govt. / State Govt./ Public Sector Undertaking/ Universities or any other Govt. organization from taking part in Government Tender in India and has no litigation in any of the Court(s).

मैं/हम _____ (आवेदक) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/कंपनी, जिसका नाम _____ है, उसे केंद्र

सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालयों या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सरकारी टेंडर में भाग लेने से _____ वर्ष की अवधि के लिए (दिनांक _____ से

_____ तक) ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित किया गया था। वह अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब फर्म/कंपनी सरकारी टेंडर में भाग लेने की पात्र है।

I/We _____ (Applicant) hereby declare that our firm/company namely M/s. _____ was blacklisted or debarred by the Central Govt. / State Govt. / Public Sector Undertaking/Universities or any other Govt. organization from taking part in Government Tender for a period of _____ year w.e.f. _____ to _____. The period is over on and now the firm / company is entitled to take part in Government Tender.

अगर ऊपर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे/हमें अच्छी तरह पता है कि आईटीआरए जामनगर के डायरेक्टर द्वारा टेंडर/कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट/कैंसल कर दिया जाएगा।
In case the above information is found false, I/we are fully aware that the Tender/contract will be rejected/cancelled by Director, ITRA Jamnagar.

बयान देने वाला: /DEPONENT

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर:

Signatures of the Bidder:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

Name of the Authorized Signatory:

पद: /Designation:

कंपनी की मुहर: /Company's Seal:

सत्यापित: /Attested:

(पब्लिक नोटरी) / (Public Notary)



निदेशक

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
जामनगर

सत्यनिष्ठा वचन / Integrity Pact:

(सत्यनिष्ठा वचन जीईएम जीटीसी का हिस्सा है। वित्तीय सीमाओं बिना सभी गैर-जी. ई. एम. बोलियों/निविदाओं के लिए आदर्श अखंडता वचन।)

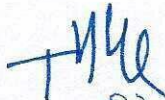
सत्यनिष्ठा वचन : सभी पक्षों अर्थात् विक्रेता, ठेकेदार, उप-ठेकेदार, संयुक्त उद्यम के मामले में सभी भागीदारों के साथ-साथ खरीदार को अनुबंध के किसी भी पहलू पर लेनदेन को प्रभावित करने के लिए बिना किसी सीमा के किसी भी गतिविधि या कार्रवाई सहित किसी भी भ्रष्ट प्रथा में लिप्त नहीं होंगे और पूरी खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और समय-समय पर भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग (<https://www.cvc.gov.in>) द्वारा प्रदान किए गए सत्यनिष्ठा समझौते के दिशानिर्देशों का पालन करते रहेंगे।

(Integrity Pact is part of GeM GTC. Model Integrity Pact for all Non GeM Bids / Tenders irrespective of financial limits.)

Integrity Pact : All the parties i.e. Seller, Contractor, Sub contractors, all partners in case of joint venture, as well as Buyer have not to indulge in any corrupt practices including without limitation any activity or action to influence the transaction on any aspect of contract and commit to take all measures necessary to prevent corruption maintaining complete transparency and fairness in all activities related to the whole procurement process and have to follow and adhere with the Integrity Pact guidelines provided by Central Vigilance Commission (<https://www.cvc.gov.in>) Government of India, time to time.

संयुक्त उद्यम के मामले में
बोलीदाता/विक्रेता, ठेकेदार, उप ठेकेदार, सभी
भागीदारों के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम।
Signature, Name, Designation of
Bidder/Seller, Contractor, Sub contractors,
all partners in case of joint venture.

निदेशक, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान
संस्थान (आईटीआरए), जामनगर-आयुष
मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक राष्ट्रीय
महत्व का संस्थान (आईएनआई)।
Director, Institute of Teaching and Research
in Ayurveda (ITRA), JAMNAGAR - an
Institute of National Importance (INI) under
Ministry of Ayush, Government of India.


निदेशक
आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
जामनगर